न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान –

1. बलराज पुत्र श्री सूरत सिंह जाति जटसिख निवासी 16 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

........**प्रार्थी**.........

बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

......**अप्रार्थीगण**......

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या – 76/2019 **निर्णय दिनांक – 26/09/2019**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 16 जी.बी. का मु.नं. 39 प.नं. 160/395 का 3.158 है. कमाण्ड खातेदारी रकबा है जिसका प्रार्थी मालिक वा काबिज है। रकबा में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। किसी अदालत का स्टे आदि नहीं है। किसी अदालत में कोई मुकदमा आदि विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी ने अपने उपरोक्त मु.नं. 39 प.नं. 160/395 का किला नं. 1 ता 5 में से प्रत्येक बीघा में से 2 बिस्वा जगह रास्ता के छोड़ी है इस जगह का कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है तथा रास्ता मौका पर चालू है यह जगह ग्राम पंचायत 17 जी.बी. को बिना किसी प्रतिफल प्राप्त किये दान में दी है इसलिए उपरोक्त दान दी गई जगह को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता स्वीकृत कर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश करने की कृपा करे। उपरोक्त रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो प्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नहीं है।

अतः दर0 पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त रास्ता को स्वीकृत करने के आदेश की कृपा करे। जनाब की कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चाहा गया रास्ता प्रार्थी की भूमि के निकटतम है। चाहा गया रास्ते के अलावा

लगातार............2

Priyanka
26/09/19
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी बलराज सिंह की भूमि के चिपता हुआ मु.नं. 40 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत व चालू रास्ता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यक है क्योंकि यह रास्ता एक डामर सड़क से एक आम रास्ता को जोड़ता है जो आगे कई मुरब्बो में जाता है। इसके अलावा अन्य कोई निकटतम व सुगम रास्ता नहीं है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के रकबा के निकटतम और सबसे छोटा रास्ता है। प्रार्थी अपनी सहमति से अपने रकबा में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर चक 16 जी.बी. के मु.नं. 39 प. नं. 160/395 का किला नं. 1 ता 5 में से प्रत्येक बीघा में से मुरब्बा लाईन के साथ-साथ दक्षिण दिशा में दो-दो बिस्वा भूमि रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भाति पैमाईश की जाकर उक्त आदेशानुसार रास्ते की भूमि का मौके पर चिन्हीकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 26.09.2019 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner